

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-52/2018/935/दो-2-2018-28/2(21)/2018

लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2018

आदेश

श्री राम गोपाल सिंह, पी0सी0एस0-2007 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-73036 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री राम गोपाल सिंह, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मिलान डायरी-85/17700/29676 दिनांक 23-06-2017 के अनुसार वर्ष 2015-2016 तक कुल जमा धनराशि रू0-19,47,889/- (रू0-उन्नीस लाख सैतालिस हजार आठ सौ नवासी मात्र) जिसमें माह 3/2016 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-17,53,100.01/- अर्थात रू0-17,53,100.00/- (रूपये सत्रह लाख तिरपन हजार एक सौ मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री राम गोपाल सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री राम गोपाल सिंह, पी0सी0एस0, तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी, मऊ के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मऊ ।
- 4- श्री राम गोपाल सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0, पता-ग्राम-नान्हू, मुण्डेरा, पोस्ट-गौनरिया, जिला-देवरिया।
- 5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।